



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 24, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

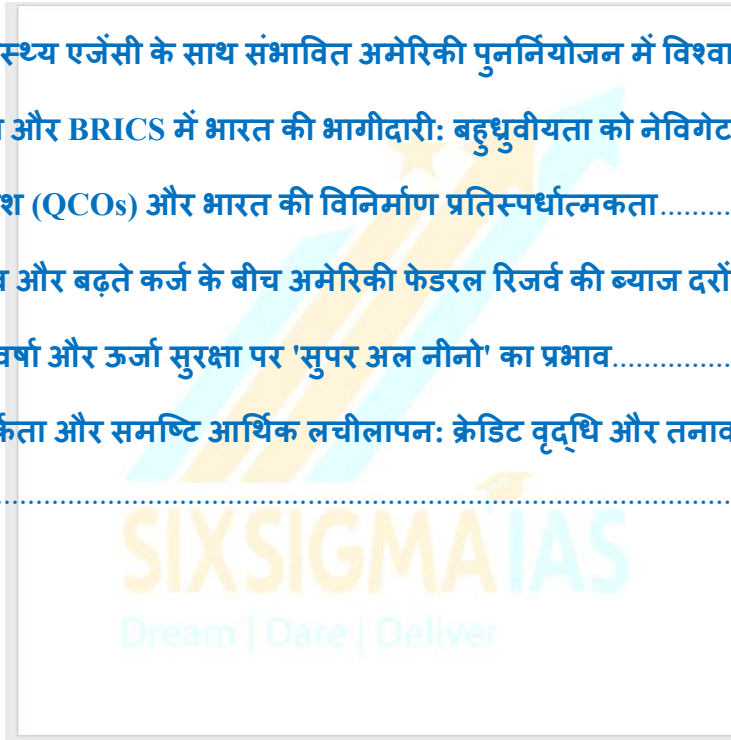


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. अरुणाचल मंत्रिमंडल ने सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिए समिति को मंजूरी दी	2
2. तीर्थ स्थलों के आसपास व्यावसायीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण: बद्रीनाथ विवाद	4
3. फ्लैश PMI भारत के निजी क्षेत्र की वृद्धि में मजबूत तेजी का संकेत देता है	5
4. BRICS ट्रांसफर प्राइसिंग और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर समर्पित कार्य समूह स्थापित करेगा	7
5. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए बजट-पूर्व परामर्श शुरू किया	8
6. वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के बीच भारत ने कनाडा और मैक्सिको के साथ व्यापार संबंधों को गति दी	10
7. WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के साथ संभावित अमेरिकी पुनर्नियोजन में विश्वास व्यक्त किया	11
8. रणनीतिक स्वायत्तता और BRICS में भारत की भागीदारी: बहुध्रुवीयता को नेविगेट करना	12
9. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता	14
10. मुद्रास्फीति के दबाव और बढ़ते कर्ज के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी	15
11. भारत में मृत्यु दर, वर्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर 'सुपर अल नीनो' का प्रभाव	17
12. बैंकिंग क्षेत्र की सतर्कता और समष्टि आर्थिक लचीलापन: क्रेडिट वृद्धि और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन	18



1. अरुणाचल मंत्रिमंडल ने सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिए समिति को मंजूरी दी

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) सर्वेक्षण का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए एक अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी।
- परियोजना में अनुमानित 11,000 मेगावाट (MW) या उससे अधिक जलविद्युत उत्पन्न करने की अनुमानित क्षमता है।

- प्रस्तावित परियोजना स्थल सियांग और अपर सियांग जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें से दो निर्दिष्ट स्थल सियांग जिले में और एक अपर सियांग जिले में है।
- ऊर्जा और जल सुरक्षा में इसके रणनीतिक महत्व के कारण केंद्र सरकार ने 2008 में SUMP को "राष्ट्रीय परियोजना" घोषित किया था।
- सियांग नदी पट्टी के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित चिंताओं को उठाते हुए, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट सर्वेक्षण का सक्रिय रूप से विरोध किया है।
- बिजली उत्पादन के अलावा, इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय जल सुरक्षा को मजबूत करना, सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन में वार्षिक बाढ़ को कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना: जलविद्युत उत्पादन, बाढ़ शमन, सिंचाई जल आपूर्ति और क्षेत्रीय जल सुरक्षा प्रबंधन सहित एक साथ कई उद्देश्यपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई एक बुनियादी ढांचा पहल।
- पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR): विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन या पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) शुरू करने से पहले एक प्रस्तावित विकास परियोजना की तकनीकी, पर्यावरणीय, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने वाला एक प्रारंभिक मूल्यांकन।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची - संघ और राज्य सूचियां): जल प्रबंधन और जलविद्युत शक्ति राज्य सूची की प्रविष्टि 17 (जल आपूर्ति, जल निकासी और भंडारण) और संघ सूची की प्रविष्टि 56 (अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास) के तहत आते हैं।
- विद्युत अधिनियम, 2003: भारत में बिजली के विकास, उत्पादन, पारेषण और वितरण को नियंत्रित करता है, जो जल-विद्युत क्षमता आवंटन और केंद्रीय सहायता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और EIA अधिसूचना, 2006: बड़े पैमाने की जलविद्युत और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य करता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: अनिवार्य भूमि अधिग्रहण को विनियमित करता है, प्रभावित स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करता है और अनिवार्य पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) सुनिश्चित करता है।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) और पांचवीं/छठी अनुसूची के विचार: अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के पारंपरिक और भूमि अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे विकास संबंधी हस्तक्षेपों के लिए स्थानीय समुदाय के परामर्श की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना रणनीतिक राष्ट्रीय विकास और स्थानीय स्वदेशी अधिकारों के बीच आवश्यक महत्वपूर्ण संतुलन को रेखांकित करती है। जबकि परियोजना बाढ़ नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा और अपस्ट्रीम में

ट्रांसबाउंड्री नदी विकास को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है, टिकाऊ कार्यान्वयन समावेशी स्थानीय जुड़ाव, पारदर्शी पर्यावरण प्रभाव आकलन और मजबूत पुनर्वास ढांचे पर निर्भर करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर I: भौगोलिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण जल निकायों में परिवर्तन (सियांग-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली)।
- GS पेपर II: संघीय गतिशीलता, जनजातीय अधिकार, और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और शासन को विनियमित करने वाले वैधानिक ढांचे।
- GS पेपर III: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बांध), आपदा प्रबंधन (बाढ़ शमन), और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)।

2. तीर्थ स्थलों के आसपास व्यावसायीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण: बद्रीनाथ विवाद

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- चमोली, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के पास आयोजित "हमारी विरासत, हमारा भविष्य" नामक दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव ने तेज, कॉन्सर्ट-शैली के "भजन जैमिंग" और डीजे प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया।
- इस उत्सव का आयोजन भारतीय सेना की सामुदायिक पहुंच पहल, "ऑपरेशन सद्भावना" के हिस्से के रूप में, चमोली जिला प्रशासन और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया था।
- धार्मिक नेताओं, स्थानीय पुजारी निकायों (उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित समिति) और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया, और तर्क दिया कि उच्च-डेसिबल वाले वाणिज्यिक प्रदर्शन पवित्र स्थलों की पवित्रता और शांति को परेशान करते हैं।
- जिला अधिकारियों ने दावा किया कि केवल स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई थी और उन्हें डीजे प्रदर्शन के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जिसके बाद सैन्य अधिकारियों से लिखित प्रश्न पूछे गए।
- इस विवाद ने राज्य द्वारा प्रायोजित पर्यटन प्रोत्साहन और पवित्र पारंपरिक विरासत के संरक्षण के बीच सीमाएं तय करने पर बहस को सबसे आगे ला दिया है।
- इस पवित्र स्थल की मेजबानी करने वाले नाजुक, उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय और ध्वनिक संवेदनशीलता के बारे में भी चिंताओं को उजागर किया गया था।

आवश्यक परिभाषाएं

- ऑपरेशन सद्भावना (ऑपरेशन गुडविल): राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने, नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सामुदायिक पहुंच का संचालन करने के लिए सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई एक अनूठी नागरिक-सैन्य पहल।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ध्वनिक प्रदूषण: नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्रों (जैसे उच्च ऊंचाई वाले हिमालय) में अत्यधिक या विघटनकारी शोर जो प्राकृतिक शांति को कम करता है, सूक्ष्म वातावरण को बदलता है, और स्थानीय जैव विविधता और सांस्कृतिक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 25 और 26: अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार और पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए धार्मिक संप्रदायों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 49 (नीति निदेशक तत्व): राज्य को राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं को विनाश, विकृति या दुरुपयोग से बचाने का निर्देश देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 51A(f) (मौलिक कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक को भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्य समझने और उसे संरक्षित करने का आदेश देता है।
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ढांचा, जो शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है, विशेष रूप से निर्दिष्ट शांत या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च डेसिबल ध्वनि प्रणालियों को प्रतिबंधित करता है।
- चार धाम श्राइन बोर्ड ढांचा / स्थानीय मंदिर अधिनियम: उत्तराखंड में पारंपरिक तीर्थ स्थलों के रखरखाव, धार्मिक मर्यादा और प्रशासन को विनियमित करने वाले वैधानिक तंत्र।

निष्कर्ष बद्रीनाथ सांस्कृतिक उत्सव के आसपास की बहस इको-पर्यटन पहलों और पारंपरिक धार्मिक मर्यादा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देती है। नीतिगत हस्तक्षेपों को नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र और दीर्घकालिक सांस्कृतिक परंपराओं दोनों की रक्षा के लिए संवेदनशील हिमालयी मंदिरों के पास कार्यक्रम प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियामक दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर I: भारतीय संस्कृति और विरासत (सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण बनाम व्यावसायीकरण) और भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं।
- GS पेपर II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, नागरिक-सैन्य संबंध (ऑपरेशन सद्भावना), और अनुच्छेद 25 तथा 26 के तहत संवैधानिक अधिकार।
- GS पेपर III: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर पर्यटन और ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव)।

3. फ्लैश PMI भारत के निजी क्षेत्र की वृद्धि में मजबूत तेजी का संकेत देता है

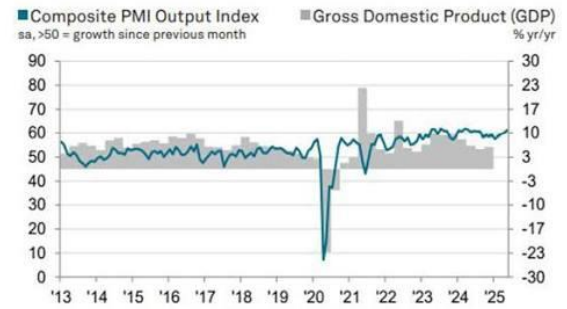
मुख्य विशेषताएं और सारांश

- विनिर्माण और सेवाओं दोनों के उत्पादन में तेज विस्तार से प्रेरित होकर, सितंबर में भारत की निजी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स अगस्त में 54.3 से बढ़कर सितंबर में 56.5 हो गया, जो मजबूत आर्थिक गति को दर्शाता है।
- फ्लैश मैनुफैक्चरिंग PMI अगस्त के 52.8 की तुलना में सितंबर में सात महीने के उच्चतम स्तर 55.7 पर पहुंच गया, जो औद्योगिक उत्पादन में तेज सुधार का संकेत देता है।

- फ्लैश सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स संवर्धित विपणन अभियानों और मजबूत घरेलू मांग के बल पर अगस्त में 54.1 से बढ़कर सितंबर में 55.8 हो गया।
- निर्यात ऑर्डर की वृद्धि में मामूली गिरावट के बावजूद, प्रमुख क्षेत्रों में आशावादी भावना के कारण अगले वर्ष के उत्पादन परिदृश्य के लिए समग्र व्यावसायिक विश्वास चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- सेवा प्रदाताओं ने संपत्ति सेवाओं, परिवहन रसद और नई यात्रा बुकिंग में उल्लेखनीय मांग वृद्धि दर्ज की।

आवश्यक परिभाषाएं

- परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI): निजी क्षेत्र की कंपनियों के मासिक सर्वेक्षणों पर आधारित एक आर्थिक संकेतक जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि के रुझानों को मापता है। 50 से ऊपर PMI रीडिंग पिछले महीने की तुलना में विस्तार को इंगित करती है, जबकि 50 से नीचे का मान संकुचन को इंगित करता है।
- फ्लैश PMI: किसी देश के PMI का एक प्रारंभिक अनुमान जो कुल मासिक सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के लगभग 85% से 90% पर आधारित होता है, जिसे अंतिम आर्थिक उत्पादन आंकड़ों का सटीक अग्रिम संकेत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



Sources: HSBC, S&P Global PMI, CSO via S&P Global Market Intelligence.
*Composite PMI indices are weighted averages of comparable manufacturing and services PMI indices. Weights reflect the relative size of the manufacturing and service sectors according to official GDP data.

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008: भारत में सामाजिक-आर्थिक सांख्यिकी के संग्रह को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा, जो डेटा संग्रह, मान्यता और प्रसार के लिए मानक स्थापित करता है।
- राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (NIF): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा प्रशासित, जो S&P ग्लोबल और HSBC जैसी निजी संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए उच्च-आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतों के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों का समन्वय करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 280: वित्त आयोग से संबंधित है, जो संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए समष्टि आर्थिक रुझानों और आर्थिक डेटा का उपयोग करता है।

निष्कर्ष सितंबर के फ्लैश PMI में उछाल भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लचीली घरेलू मांग और मजबूत व्यावसायिक विश्वास को रेखांकित करता है। इस विस्तार प्रक्षेपवक्र को बनाए रखना घरेलू खपत को बनाए रखने पर निर्भर करेगा, जबकि बाहरी विपरीत परिस्थितियों का प्रबंधन करना होगा जो निर्यात की गति के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, विकास, प्रगति और रोजगार से संबंधित मुद्दे; औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र के रुझान।
- GS पेपर III: आर्थिक संकेतक (PMI, IIP, GDP विकास मेट्रिक्स) और निजी क्षेत्र के प्रदर्शन की उच्च-आवृत्ति निगरानी।

4. BRICS ट्रांसफर प्राइसिंग और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर समर्पित कार्य समूह स्थापित करेगा

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- BRICS सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कराधान, ट्रांसफर प्राइसिंग और राजस्व सांख्यिकी पर केंद्रित दो विशेष कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत हुए।
- इस निर्णय की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित BRICS कर अधिकारियों के प्रमुखों की बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
- इस पहल का उद्देश्य वैश्विक कर वार्ताओं में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सामूहिक आवाज बनाना और घूर्णन अध्यक्षाओं से परे निरंतर संस्थागत सहयोग सुनिश्चित करना है।
- ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद विकासशील देशों के कर प्रशासनों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं क्योंकि वैश्विक कर नियम अक्सर स्थानीय राजकोषीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने में विफल रहते हैं।
- कार्य समूह सीमा पार कराधान पर अनुभव साझा करने की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे सदस्य देशों को उन नियमों में सुधार करने में मदद मिलेगी जो विकासशील कर प्रणालियों के मूल्यांकन के तरीके को विकृत करते हैं।
- 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं (भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया सहित) को मिलाकर, BRICS वैश्विक GDP के लगभग 40% और दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- ट्रांसफर प्राइसिंग: बहुराष्ट्रीय उद्यम (MNE) के भीतर समान नियंत्रण के तहत संबंधित संस्थाओं या सहायक कंपनियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा की बिक्री सहित लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्य निर्धारण प्रणाली।
- आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल (ALP): एक अंतर्राष्ट्रीय कर मानक जिसके लिए संबंधित उद्यमों के बीच लेनदेन की कीमत इस तरह तय की जानी चाहिए जैसे कि वे समान बाजार स्थितियों के तहत स्वतंत्र, असंबद्ध संस्थाओं के बीच आयोजित किए गए थे।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 92 से 92F): भारतीय घरेलू कानून में विशिष्ट प्रावधान जो ट्रांसफर प्राइसिंग, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से आय की गणना, और आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रवर्तन को विनियमित करते हैं।
- अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (APA) योजना: आयकर अधिनियम की धारा 92CC के तहत एक वैधानिक तंत्र जो करदाताओं और कर अधिकारियों को विवादों को रोकने के लिए अग्रिम रूप से ट्रांसफर प्राइसिंग कार्यप्रणाली निर्धारित करने की अनुमति देता है।

- OECD/G20 BEPS (बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग) प्रोजेक्ट: MNEs द्वारा उपयोग की जाने वाली कर चोरी की रणनीतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया वैश्विक ढांचा, जहां BRICS देश विकासशील देशों के राजस्व हितों की रक्षा करते हुए मानकों को संरक्षित करना चाहते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 253: संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें दोहरा कराधान निवारण समझौता (DTAA) शामिल है।

निष्कर्ष ट्रांसफर प्राइसिंग पर BRICS कार्य समूहों का गठन ग्लोबल साउथ के आर्थिक हितों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक कर वास्तुकला में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांख्यिकीय डेटा और तकनीकी विशेषज्ञता को एकत्रित करके, BRICS देश सीमा पार कर चोरी को कम कर सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग मुकदमेबाजी को कम कर सकते हैं और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कराधान ढांचे को बढ़ावा दे सकते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर II: भारत को शामिल करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (BRICS) और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में उनकी भूमिका।
- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और कराधान, राजस्व लामबंदी, कर चोरी (BEPS), और बहुराष्ट्रीय निगमों के नियमन से संबंधित मुद्दे।

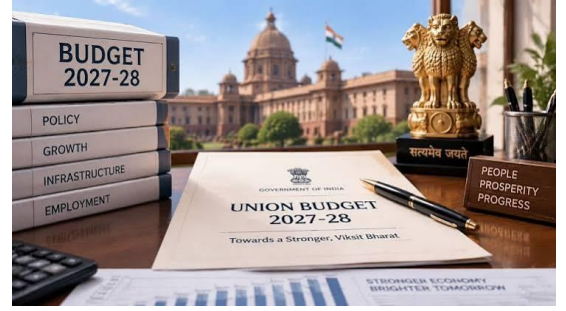
5. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए बजट-पूर्व परामर्श शुरू किया

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों को शुरू करने के लिए 12 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने वाली बजट-पूर्व बैठकों की एक महीने की श्रृंखला शुरू करेगा।
- चर्चा अनुदान और विनियोग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित अनुमानों (RE) और 2027-28 के लिए बजट अनुमानों (BE) को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी।
- परामर्श प्रक्रिया की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के तहत सचिव (व्यय) करते हैं।
- बजट-पूर्व परामर्श में व्यय आवश्यकताओं और राजस्व अनुमानों का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख क्षेत्र के हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा शामिल है।
- यह अभ्यास विकास-उन्मुख सार्वजनिक व्यय आवंटन के साथ राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
- इन सत्रों के दौरान निर्धारित अंतिम अनुमान 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण का आधार बनते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- बजट अनुमान (BE): एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए धन का आवंटन, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अनुमानित राजस्व और प्रत्याशित सार्वजनिक व्यय को रेखांकित करता है।
- संशोधित अनुमान (RE): चल रहे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय प्रवृत्तियों के आलोक में बजट अनुमानों का एक मध्य-वर्ष पुनर्मूल्यांकन, जो आगामी वर्ष के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 112: भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संघ की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले एक "वार्षिक वित्तीय विवरण" को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाने का आदेश देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 113: अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विवरण देता है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जबकि अन्य व्यय अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003: राजकोषीय अनुशासन के लिए वैधानिक ढांचा निर्धारित करता है, जिसके तहत सरकार को बजट के साथ मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण, समष्टि आर्थिक ढांचा विवरण और राजकोषीय नीति रणनीति विवरण पेश करने की आवश्यकता होती है।
- सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017: वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले व्यय विभाग द्वारा जारी मानक नियम और निर्देश प्रदान करता है।

निष्कर्ष बजट-पूर्व परामर्श भारत की बजटीय प्रणाली का परिचालन आधार बनते हैं, जो महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में राज्य के संसाधनों के व्यवस्थित आवंटन को सुगम बनाते हैं। राजकोषीय अनुशासन लक्ष्यों के साथ व्यय अनुमानों को संरेखित करके, ये बैठकें संरचित शासन, कार्यकारी जवाबदेही और कुशल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएं—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे (अनुच्छेद 112-117 के तहत बजटीय प्रक्रिया)।
- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, विकास, प्रगति और राजकोषीय नीति / सार्वजनिक वित्त प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

6. वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के बीच भारत ने कनाडा और मैक्सिको के साथ व्यापार संबंधों को गति दी

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और वैश्विक व्यापार व्यवधानों से बचाव के लिए कनाडा और मैक्सिको के साथ व्यापक व्यापार समझौतों की वार्ता में तेजी ला रहा है।
- भारत और कनाडा के बीच पांचवें दौर की व्यापार वार्ता अक्टूबर के लिए निर्धारित है, जिसका लक्ष्य आधिकारिक नेतृत्व यात्रा के दौरान दिसंबर तक अंतिम समझौते तक पहुंचना है।
- भारत औपचारिक द्विपक्षीय व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए मैक्सिको के साथ एक संरचनात्मक ढांचे को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे लैटिन अमेरिका में उसकी वाणिज्यिक उपस्थिति मजबूत हो सके।
- ये तीनों देश सामूहिक रूप से 8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के आर्थिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुल्क अस्थिरता तथा संरक्षणवादी उपायों की भरपाई के लिए बाजार विस्तार की मांग कर रहे हैं।
- उत्तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ गहरे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को विकसित करना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और निर्यात स्थलों का विस्तार करने के भारत के रणनीतिक प्रयास का एक प्रमुख हिस्सा है।
- भारत प्रमुख वैश्विक व्यापारिक साझेदारों के साथ जारी व्यापार वार्ताओं के साथ-साथ रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) / मुक्त व्यापार समझौता (FTA): एक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता जो निवेश और बौद्धिक संपदा सहयोग को सुगम बनाते हुए वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क, व्यापार कोटा और गैर-शुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करता है।
- व्यापार विविधीकरण: एकल-बाजार के झटकों और शुल्क में उतार-चढ़ाव के प्रति आर्थिक भेद्यता को कम करने के लिए निर्यात उत्पादों और व्यापारिक साझेदारों की सीमा का विस्तार करने के उद्देश्य से बनाई गई एक रणनीतिक नीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 253: संसद को अन्य देशों के साथ संधियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए पूरे देश या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- संघ सूची की प्रविष्टि 14 (सातवीं अनुसूची): केंद्र सरकार को विदेशी देशों के साथ संधियां और समझौते करने तथा उन्हें लागू करने पर विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

- विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992: भारत के विदेश व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति के विनियमन, विकास और सुविधा के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975: बातचीत के जरिए तय किए गए द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के तहत लागू तरजीही टैरिफ उपचार, उत्पत्ति के नियम और आयात शुल्क को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष कनाडा और मैक्सिको के साथ भारत की सक्रिय व्यापार कूटनीति बदलते वैश्विक व्यापार गतिशीलता के बीच बाजार विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संरचित व्यापार व्यवस्था हासिल करने से भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी और बाहरी समष्टि आर्थिक उथल-पुथल से राष्ट्रीय वाणिज्यिक हितों की रक्षा होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर II: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, विकास, प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों से संबंधित मुद्दे।

7. WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के साथ संभावित अमेरिकी पुनर्नियोजन में विश्वास व्यक्त किया

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वैश्विक स्वास्थ्य निकाय में फिर से शामिल होना "समय की बात" है।
- अमेरिका ने COVID-19 महामारी के एजेंसी के प्रबंधन पर असंतोष का हवाला देते हुए जनवरी 2026 में WHO से अपने बाहर निकलने की औपचारिक अधिसूचना दी।
- ऐतिहासिक रूप से, अमेरिका WHO का सबसे बड़ा एकल वित्तीय योगदानकर्ता रहा है, जिसने मूल्यांकित और स्वैच्छिक निधियों के माध्यम से 2022-23 द्विवार्षिक के दौरान 1.284 बिलियन डॉलर प्रदान किए।
- बाहर निकलने से पर्याप्त धन घटा हुआ, जिससे WHO को पोलियो उन्मूलन, एचआईवी, तपेदिक (टीबी), टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सहित प्रमुख कार्यक्रमों को फिर से प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- वित्तीय सहायता से परे, WHO ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) जैसे निकायों से अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञता के रणनीतिक महत्व पर बल दिया।
- "महामारी रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया" पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक से पहले, WHO ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के राजनीतिकरण या उन्हें हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी।

आवश्यक परिभाषाएं

- मूल्यांकित योगदान (Assessed Contributions): शुल्क जो सदस्य देश अपनी सदस्यता की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में WHO को भुगतान करते हैं, जिसकी गणना प्रत्येक देश की संपत्ति और जनसंख्या के आकार के सापेक्ष की जाती है।
- स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contributions): सदस्य देशों या गैर-सरकारी साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की जाने वाली वित्तीय धनराशि, जो अक्सर विशिष्ट स्वास्थ्य पहलों, रोग उन्मूलन अभियानों या आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए निर्धारित होती है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान (1948): अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में WHO की स्थापना करने वाली संस्थापक संधि।
- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम (IHR, 2005): अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन जिसका उद्देश्य विश्व यातायात और व्यापार में हस्तक्षेप को कम करते हुए बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उसका जवाब देना और उसे नियंत्रित करना है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 253: संसद को WHO जैसे बहुपक्षीय निकायों के तहत अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सेनेटरी नियमों या स्वास्थ्य सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 (नीति निदेशक तत्व): राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका का संभावित पुनर्नियोजन मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और निरंतर बीमारी निगरानी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत बहुपक्षीय स्वास्थ्य प्रशासन का पुनर्निर्माण चिकित्सा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है, महामारी प्रतिक्रियाओं में विखंडन को रोकता है, और भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की रक्षा करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच—उनकी संरचना, जनादेश और कार्यप्रणाली (WHO, संयुक्त राष्ट्र ढांचा)।
- GS पेपर II: शासन, स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- GS पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी—रोग शमन और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में विकास और उनके अनुप्रयोग।

8. रणनीतिक स्वायत्तता और BRICS में भारत की भागीदारी: बहुध्रुवीयता को नेविगेट करना

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन ने पश्चिम एशियाई संघर्षों और वैश्विक व्यापार अस्थिरता के बीच बहुध्रुवीय कूटनीति का नेतृत्व करने में भारत की प्रमुख भूमिका को रेखांकित किया।
- नई दिल्ली ने दिल्ली घोषणापत्र जारी करने के लिए 11 विविध सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति हासिल की, जो अधिक प्रतिनिधि वैश्विक शासन संरचना के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
- शिखर सम्मेलन ने भारत को प्रतिद्वंद्वी भू-राजनीतिक गुटों के बीच रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए ईरानी नेतृत्व की मेजबानी करके पश्चिम एशिया में अपनी पारंपरिक संतुलन स्थिति को बहाल करने में सक्षम बनाया।
- BRICS जैसे बहुपक्षीय मंच भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व के लिए आवश्यक सुरक्षा गार्ड प्रदान करते हैं, जिससे चल रहे सीमा तनाव के बावजूद निरंतर बातचीत सुनिश्चित होती है।
- सदस्य देशों ने व्यापार, वित्त, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विनियमन में एकतरफावाद के खिलाफ संरचनात्मक अभिसरण का प्रदर्शन किया।
- BRICS के भीतर भारत की बहु-संरक्षण (मल्टी-अलाइनमेंट) रणनीति उसे रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता में एक अग्रिम पंक्ति का राज्य बनने से रोकने की अनुमति देती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- रणनीतिक स्वायत्तता: एक विदेश नीति सिद्धांत जिसमें कोई राष्ट्र प्रमुख बाहरी शक्तियों पर निर्भर हुए बिना या उनके दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति को तैयार और निष्पादित करता है।
- बहुपक्षवाद (Plurilateralism): सार्वभौमिक बहुपक्षीय संस्थानों से अलग, साझा रणनीतिक या आर्थिक हितों वाले देशों के लक्षित समूह के बीच बनाए गए सहकारी समझौते या संस्थागत ढांचे।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 51 (नीति निदेशक तत्व): राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 253: संसद को BRICS जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहमत अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या घोषणाओं को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 73 के तहत कार्यकारी शक्ति: केंद्रीय कार्यपालिका को विदेशी मामलों का संचालन करने, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर बातचीत करने और राजनयिक ढांचे में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष नई दिल्ली BRICS शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व तेजी से खंडित होती दुनिया में बहु-संरक्षण की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है। वैश्विक शक्तियों के बीच संबंधों को संतुलित करने, क्षेत्रीय विवादों को संबोधित करने और ग्लोबल साउथ की चिंताओं की वकालत करने के लिए BRICS का लाभ उठाकर, भारत एक स्थिर, बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में योगदान करते हुए अपने स्वयं के रणनीतिक उत्थान को सुरक्षित करता है।

- GS पेपर II: भारत को शामिल करने वाले और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते (BRICS, SCO, Quad)।
- GS पेपर II: भारत और उसका पड़ोसी-संबंध, भारत के राष्ट्रीय हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- GS paper II: राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 51) और विदेशी मामलों को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक ढांचा।

9. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) के तेजी से विस्तार से विनियमित उत्पादों का दायरा 2019 में 88 से बढ़कर 2024 के अंत तक 765 हो गया, जिससे WTO में गैर-टैरिफ बाधा चिंताएं बढ़ गईं।
- आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों को रोकने के लिए, DPIIT ने संक्रमण सुविधा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 पेश किया, जिसमें जूते, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रमाणन मानदंडों में ढील दी गई।
- 600 से अधिक QCO-कवर उत्पाद, विशेष रूप से रसायनों, स्टील, कपड़ा और रबर में मध्यवर्ती सामान, व्यापक नियामक पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।
- CSEP द्वारा किए गए अनुभवजन्य शोध से पता चलता है कि रासायनिक इनपुट पर QCO के कारण निरंतर उत्पादन स्तर के बावजूद बड़ी कंपनियों के लिए सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 37% की गिरावट आई है।
- उच्च प्रमाणन लागत और इनपुट लागत वृद्धि को आगे बढ़ाने में असमर्थता के कारण छोटी विनिर्माण इकाइयों और MSMEs को गंभीर लाभ में कमी (47.6% तक की गिरावट) का सामना करना पड़ता है।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में भारत के एकीकरण को कमजोर करने वाले नियामक अवरोधों को रोकने के लिए विनिर्माण पैमाने के साथ गुणवत्ता प्रवर्तन को संतुलित करना आवश्यक है।

आवश्यक परिभाषाएं

- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO): उपभोक्ता सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्पादों को निर्दिष्ट भारतीय मानकों (IS) के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत सरकारी मंत्रालयों द्वारा जारी एक अनिवार्य नियामक आदेश।
- सकल मूल्य वर्धित (GVA): किसी अर्थव्यवस्था, उद्योग या क्षेत्र द्वारा उत्पन्न मूल्य का एक उपाय, जिसकी गणना उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती खपत के मूल्य को घटाकर कुल सकल उत्पादन के रूप में की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016: केंद्र सरकार को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से विशिष्ट वस्तुओं और प्रक्रियाओं के लिए भारतीय मानकों के अनिवार्य अनुपालन को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

- विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992: आयात और निर्यात नीतियों को विनियमित करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण प्रदान करता है कि आयातित मध्यवर्ती सामान निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g): अनुच्छेद 19(6) के तहत आम जनता के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- WTO व्यापार में तकनीकी बाधाएं (TBT) समझौता: अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जिसके तहत तकनीकी नियमों और मानकों को गैर-भेदभावपूर्ण होना आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधाएं पैदा नहीं करनी चाहिए।

निष्कर्ष ब्रांड मूल्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुणवत्ता मानकों को लागू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्यवर्ती इनपुट पर कठोर QCO कार्यान्वयन घरेलू उत्पादकों और MSMEs को दंडित करने का जोखिम उठाता है। आपूर्ति-श्रृंखला प्रभाव आकलन, अस्थायी संक्रमण विंडो और समर्पित अनुपालन सहायता की विशेषता वाला एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता किए बिना घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखे।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, औद्योगिक विकास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से संबंधित मुद्दे।
- GS पेपर III: औद्योगिक नीति में बदलाव और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव, वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs), और WTO के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्व।

10. मुद्रास्फीति के दबाव और बढ़ते कर्ज के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 3.75% से 4% की सीमा में कर दिया, जो तीन वर्षों में इसकी पहली दर वृद्धि है।
- अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति अगस्त 2026 में 3.4% पर उच्च बनी रही, जो फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य दर से काफी ऊपर मंडरा रही है।
- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण कीमतों में उछाल आया, जिससे मई 2026 में अमेरिकी मुद्रास्फीति 4.2% के शिखर पर पहुंच गई।

- लगातार मुद्रास्फीति की चिंताओं और सरकारी उधार में वृद्धि के कारण सितंबर 2026 में बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड प्रतिफल (यिल्ड) 5% की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गया।
- 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 122.6% तक पहुंच गया, जो दो दशक पहले के स्तर से लगभग दोगुना है।
- अमेरिकी सरकार के लिए ऋण चुकाने की लागत तेजी से बढ़ी है, जिसमें शुद्ध ब्याज भुगतान स्वास्थ्य सेवा और रक्षा पर व्यय से अधिक हो गया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- फेडरल फंड्स रेट: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा निर्धारित मुख्य नीतिगत ब्याज दर, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रात भर में एक दूसरे से अपने अतिरिक्त भंडार को उधार लेते हैं और देते हैं।
- ऋण-से-GDP अनुपात: एक समष्टि आर्थिक मीट्रिक जो किसी देश के कुल सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से करता है, जो अपने ऋणों को चुकाने की देश की क्षमता को दर्शाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- 1913 का फेडरल रिजर्व अधिनियम: फेडरल रिजर्व सिस्टम को विनियमित करने वाला अमेरिकी वैधानिक ढांचा जो अधिकतम रोजगार और स्थिर कीमतों को बढ़ावा देने के लिए अपने दोहरे चार्टर को अनिवार्य बनाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934: लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे के तहत मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए रेपो दर निर्धारित करने सहित भारत में मौद्रिक नीति पर RBI को अधिकार देता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003: दीर्घकालिक समष्टि-राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों पर वैधानिक सीमाएं निर्धारित करता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 292: संसद द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है।

निष्कर्ष फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि सार्वजनिक ऋण के गैर-टिकाऊ स्तरों का प्रबंधन करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की निरंतर चुनौती को रेखांकित करती है। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दरें वैश्विक वित्तीय स्पिलओवर बनाती हैं, तरलता को कसती हैं, उभरते बाजारों से पूंजी के बहिर्वाह को संचालित करती हैं, और दुनिया भर में संप्रभु ऋण कमजोरियों को बढ़ाती हैं।

UPSC प्रासंगिकता

Putting out fires

The data for the charts was sourced from Federal Reserve Economic Data (by the Research Department at the Federal Reserve Bank of St. Louis) and USAspending.gov



Tough times: U.S. President Donald Trump shakes hands with Federal Reserve Chair Kevin Warsh in the White House in Washington, D.C. REUTERS

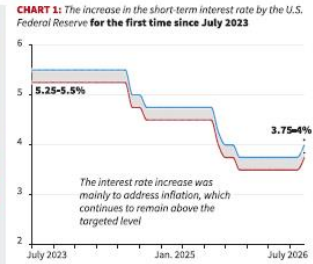


CHART 2: The long-term bond yields of some other key economies have also gone up along with that of the U.S. Japan's yield hit 2.94%, the highest since 1998

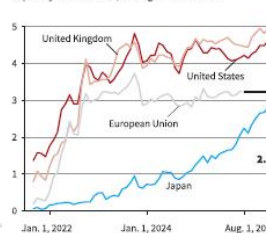


CHART 3: As fuel prices soared after the war began, inflation in the U.S. accelerated and hit retail and food prices, and is much higher than the Fed's target of 2%

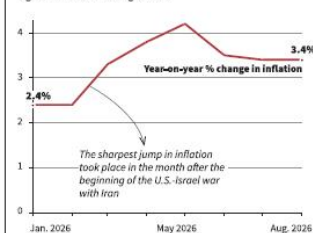


CHART 4: The U.S.'s public debt is increasing at a rate faster than the growth of its Gross Domestic Product

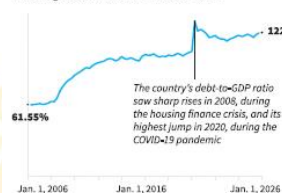
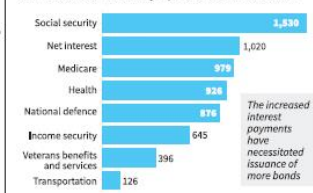


CHART 5: Net interest payments by the U.S. government is only smaller than its social security expenditure. Values in \$ billion



- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, विकास और मौद्रिक नीति प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- GS पेपर III: वैश्विक समष्टि आर्थिक विकास के प्रभाव, अमेरिकी फेड नीति में बदलाव, और उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं पर विदेशी मुद्रा/बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव।

11. भारत में मृत्यु दर, वर्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर 'सुपर अल नीनो' का प्रभाव

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 'सुपर अल नीनो' के कारण सितंबर 2026 और फरवरी 2027 के बीच भारत में 15,800 (pm 1,600) अतिरिक्त गर्मी से संबंधित मौतों का सामना करना पड़ सकता है।
- वैश्विक अनुमानों से संकेत मिलता है कि अल नीनो घटना के दौरान दुनिया भर में लगभग 451,000 अतिरिक्त मौतें हुईं, जिनमें से 239,000 मौतें फरवरी 2027 तक छह महीने की अवधि में हुईं।
- पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 3°C से अधिक बढ़ गया है, जो असाधारण रूप से मजबूत अल नीनो की 90% से अधिक संभावना की ओर इशारा करता है।
- जैसे ही दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी वापसी के चरण में प्रवेश कर गया, भारत का राष्ट्रीय वर्षा घाटा सामान्य से लगभग 15% नीचे पहुंच गया।
- अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग में उछाल आया है, जिससे भारत के लगभग 40% कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में ईंधन का भंडार गंभीर रूप से कम हो गया है।
- शोधकर्ता इस घटना को "हमारे भविष्य का एक पोस्टकार्ड" कहते हैं, क्योंकि यह जलवायु अनुकूलन निवेश के बिना 20 साल बाद मानक बनने के लिए अनुमानित तापमान को दर्शाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- अल नीनो / सुपर अल नीनो: एक आवधिक जलवायु पैटर्न जो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और मानसून प्रणालियों को बाधित करता है।
- अनुकूलन क्षमता (Adaptive Capacity): संभावित नुकसान को समायोजित करने, अवसरों का लाभ उठाने, या जलवायु परिणामों का जवाब देने के लिए प्रणालियों, संस्थानों, मनुष्यों और अन्य जीवों की क्षमता।

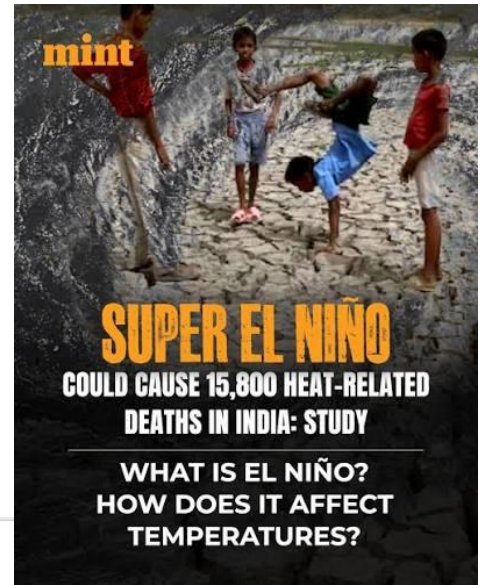
कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और प्रतिकूल जलवायु प्रभावों से सुरक्षा को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: हीटवेव और चरम मौसम की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए वैधानिक जनादेश प्रदान करता है, जो NDMA को राष्ट्रीय हीट वेव एक्शन प्लान को लागू करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 48A (नीति निर्देशक तत्व): राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष सुपर अल नीनो का अनुमानित नुकसान प्रतिक्रियाशील राहत से सक्रिय अनुकूलन योजना की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, बिजली क्षेत्र के रसद को उन्नत करना, स्थानीय हीट एक्शन प्लान (HAPs) का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना मानव जीवन और आर्थिक स्थिरता को जलवायु-प्रेरित झटकों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर III: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और जलवायु परिवर्तन गतिशीलता।
- GS पेपर III: आपदा और आपदा प्रबंधन, जिसमें हीटवेव शमन, लचीला बिजली बुनियादी ढांचा, और कृषि जोखिम प्रबंधन शामिल है।



12. बैंकिंग क्षेत्र की सतर्कता और समष्टि आर्थिक लचीलापन: क्रेडिट वृद्धि और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा ने वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आशावाद से प्रेरित आक्रामक ऋण प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के खिलाफ आगाह किया।
- पिछले आर्थिक चक्रों में खराब ऋण आकलन ने बैंकिंग प्रणाली को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और बुरे ऋणों (NPA) की सफाई के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को मोड़ने के लिए मजबूर किया।
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) में बहु-दशकीय निचला स्तर हासिल किया है, जो एक दशक पहले दोहरे अंकों के स्तर की तुलना में Q1 FY2027 में 1% से नीचे गिर गया है।

- बैंकों को अस्थायी बाजार उत्साह के बजाय परियोजना अर्थशास्त्र और मूलभूत व्यवहार्यता के खिलाफ ऋण आवेदनों का कड़ाई से मूल्यांकन करने की सलाह दी गई।
- संबोधन ने "द्विन बैलेंस शीट समस्या" की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संस्थागत स्मृति को बनाए रखने पर जोर दिया जिसने पहले उत्पादक पूंजी निवेश को सीमित कर दिया था।
- दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, कार्यबल को कुशल बनाने और मर्चेडाइज व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA): बैंक द्वारा जारी किए गए ऋणों और अग्रिमों का कुल मूल्य जो 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय या डिफॉल्ट में हैं, जो बैंकिंग प्रणाली में खराब ऋणों के सकल परिमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- द्विन बैलेंस शीट समस्या: एक समष्टि आर्थिक परिदृश्य जहां कॉर्पोरेट बैलेंस शीट (अत्यधिक ऋण से प्रभावित) और बैंक बैलेंस शीट (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रभावित) दोनों एक साथ गंभीर रूप से तनावग्रस्त होते हैं, जो नए निवेश और ऋण निर्माण को सीमित करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बैंकिंग परिचालन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण मानदंड जारी करने, प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण और परिसंपत्ति वर्गीकरण की निगरानी करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC), 2016: कॉर्पोरेट संस्थाओं के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध, कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को साफ करने और तनावग्रस्त बैंक पूंजी को पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934: RBI को मौद्रिक नीति ढांचे को विनियमित करने, बैंकिंग स्थिरता की निगरानी करने और सट्टा ऋण विस्तार को शुरू किए बिना वित्तीय प्रणाली तरलता सुनिश्चित करने का आदेश देता है।
- अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची - संघ सूची, प्रविष्टि 45): संसद को बैंकिंग, वित्तीय विनियमन और ऋण संस्थानों से संबंधित विधायी मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष बैंकिंग प्रणाली की बहाल की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए कठोर ऋण मूल्यांकन मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वित्तीय स्थिरता के साथ ऋण विस्तार को संतुलित करना यह सुनिश्चित करता है कि पूंजी को उत्पादक विनिर्माण क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिससे प्रणालीगत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के पुनरुत्थान को रोका जा सके और समष्टि आर्थिक लचीलेपन को सुदृढ़ किया जा सके।

UPSC प्रासंगिकता



- GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, विकास, प्रगति और रोजगार से संबंधित मुद्दे; बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, NPAs, और क्रेडिट वृद्धि।
- GS पेपर III: औद्योगिक नीति, घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता, और व्यापार घाटा प्रबंधन।

